



नवीन प्र० ३५२६/२०१५

## माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर मोप्र०

मोप्र० क्र० /2014 रिवीजन R ३५२६-II/१५

दिनांक 16-10-14 का  
श्री वालकर्पन शर्मा, अधीकारी  
मुख्य उचित/  
  
क्र०  
16-10-14  
S.O

चिरोंजीलाल आयु-50 वर्ष पुत्र श्री  
खुशीलाल कुशवाह, व्यवसाय-कृषि,  
निवासी ग्राम पचमा तहसील बसौदा  
जिला विदिशा मोप्र०.....रिवीजनकर्ता  
विरुद्ध

1. दंगलसिंह, आयु-70 वर्ष, पुत्र श्री  
खुशीलाल कुशवाह,
2. दमरु आयु-60वर्ष, पुत्र श्री खुशीलाल  
कुशवाह, निवासीगण-ग्राम पचमा  
तहसील बसौदा जिला विदिशा मोप्र०
3. राममोहन पुत्र श्री भगवान सिंह साहू  
निवासी- लक्ष्मीनारायण नगर  
बरसिया जिला भोपाल मोप्र०
4. श्रीमती निर्मलादेवी पुत्री श्री अनेकराम  
ब्रह्माण, निवासी- राजेन्द्र नगर  
गजबसौदा जिला विदिशा मोप्र०
5. पार्वती बाई पत्नी श्री रामलाल  
कुशवाह, निवासी- ग्राम पचमा  
तहसील बासौदा जिला विदिशा मोप्र०  
.....रिस्पोडेन्ट्स / प्रतिप्रार्थीगण

रिवीजन अन्तर्गत विरुद्ध आदेश दिनांक 24.09.2014 प्रकरण क्र.  
106/2012-13 अपील माल न्यायालय श्री मान अनुबिभागीय  
अधिकारी गंजबासौदा जिला विदिशा मोप्र० अनुमान चिरोंजीलाल  
बनाम दंगल सिंह विरुद्ध दमरु आदि

माननीय महोदय,

रिवीजनकर्ता की ओर से रिवीजन निम्नप्रकार प्रस्तुत है:-

२१७

XXIX(a)-BR(H)-11

## राजस्व, मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3526-दो/14

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
५-१२-१८	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २७-३-। ७ को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>(३)</p>	 <p>प्रशासकीय सदस्य</p>